प्रेस नोट

दिनांक 09.09.2024, थाना को0तरबगंज

जनपद गोण्डा।

थाना तरबगंज क्षेत्र के अन्तर्गत नाबालिक लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने व उसके साथ दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना तरबंगज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 166/2024, धारा 363, 366, 376(2)n भादवि व 5(L)/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त राजा उर्फ धर्मेन्द्र पासवान पुत्र अम्बर प्रसाद निवासी साइन बेलवा मौजा साहजोत थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा को थाना को0तरबगंज पुलिस के द्वारा अमदही मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना तरबगंज क्षेत्र के अन्तर्गत नाबालिग लड़की को अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसला कर भगा ले जाने की सूचना प्राप्त हुई। वादी की तहरीर के आधार पर थाना तरबगंज में मु0अ0सं0- 166/2024, धारा 363 भादवि बनाम अज्ञात के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान पीडिता के वयान के आधार पर अभियोग में धारा 366, 376(2)n भादवि व 5(L)/6 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी किया गया। आज दिनांक 09.09.2024 को वांछित अभियुक्त राजा उर्फ धर्मेन्द्र पासवान पुत्र अम्बर प्रसाद निवासी साइन बेलवा मौजा साहजोत थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा को थाना तरबगंज के द्वारा अदही मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त

01. राजा उर्फ धर्मेन्द्र पासवान पुत्र अम्बर प्रसाद निवासी साइन बेलवा मौजा साहजोत थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 166/2024, धारा 363, 366, 376(2)n भादवि व 5(L)/6 पाक्सो एक्ट थाना तरबगंज, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 मृत्युंजय सिंह

02. हे0का0 गयापति त्रिपाठी

03. का0 यशवन्त यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 09.09.2024, थाना को0 कर्नलगंज

जनपद गोण्डा।

थाना को0कर्नलगंज पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के वाछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी को0कर्नलगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना को0 कर्नलगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-406/24, धारा 137(2) बीएनएस से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त फुरकान पुत्र मोबीन निवासी सराय राजघाट थाना सुबेहा जिला बाराबंकी को कर्नलगंज सी0एच0सी0 तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 07.09.2024 को थाना को0कर्नलगंज क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना को0कर्नलगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षी द्वारा उनकी पुत्री को बहला-फुसला कर भगा ले गया है। वादी की तहरीर पर थाना को0कर्नलगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था । विवचेना के दौरान दोषी पाए गए नामजद आरोपी अभियुक्त फुरकान पुत्र मोबीन निवासी सराय राजघाट थाना सुबेहा जिला बाराबंकी को थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा आज दिनांक 09.09.2024 को सी0एच0सी0 के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0कर्नलगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. फुरकान पुत्र मोबीन निवासी सराय राजघाट थाना सुबेहा जिला बाराबंकी ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-406/24, धारा 137(2) बीएनएस थाना को0कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 दयानन्द यादव
02. का0 प्रवीण कुमार
03. म0का0 मिती सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 09.09.2024, मानिटरिंग सेल

जनपद गोण्डा।

'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से गैर इरादतन हत्या करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 10 वर्ष का सश्रम कारावास व रूपये 10,000/- अर्थदण्ड की सजा-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी कृष्णदेव शुक्ला पुत्र स्व0 रामसमुझ शुक्ला निवासी नरायनपुर ललक थाना परसपुर जनपद गोण्डा द्वारा दिनाकं 27.05.2020 को थाना परसपुर को सूचना दिया कि उसका छोटा भाई संजय शुक्ला शराब पीने के लिए माता जी से पैसा मांग रहा था न देने पर गेहूँ बोरी में भर कर बेचने जाने लगा माताजी के द्वारा मना करने पर लाठी डण्डा से मारने पीटने लगा जिससे उनकी मृत्यु हो गयी जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 118/2020, धारा 304 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक उ0नि0 लाल साहब सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 27.07.2020 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण-

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी श्री सर्वजीत कुमार सिंह द्वारा थाना परसपुर पुलिस, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक श्री चन्द्रशेखर सिंह, कोर्ट मोहर्रिर म0आ0 वन्दना व थाना परसपुर के पैरोकार का0 राजेश कुमार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक- 09.09.2024 को दोषी अभियुक्त – संजय शुक्ला पुत्र स्व0 रामसमुझ शुक्ला निवासी दक्षिणपुरवा मौजा सरैया थाना परसपुर जनपद गोण्डा को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्त का नाम पता-

01. संजय शुक्ला पुत्र स्व0 रामसमुझ शुक्ला निवासी दक्षिणपुरवा मौजा सरैया थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण-

01. मु0अ0सं0- 118/2020, धारा 304 भादवि थाना परसपुर, जनपद गोण्डा.

मीडिया सेल, गोण्डा।